

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम)

देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत मानक मद-20 सहायक अनुदान से मानक मद-42 अन्य व्यय में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक के पत्र संख्या 2516/3-2(ब)/ग्राम्या-2/2018-19 दिनांक 11 मार्च, 2019 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0 9 के अनुसार मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में हो रही बचत से मानक मद 42-अन्य व्यय की मद में रु0 57.00 लाख (रु0 सत्तावन लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1(1). पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

1(2). स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

1(3). स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2019 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी दशा में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि के समर्पण की स्थिति न हो।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-97-वाह्य सहायतित योजना-9701-उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0 9 के स्तम्भ 1 में अंकित मानक मद 20-सहायक अनुदान में हो रही बचत से मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/ XXVII(I)/2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. **S190317041** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02.04.2018 के द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 281/XXVII-4/2019 दिनांक 25 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक-बी0एम0 9

भवदीय,

(मनीषा पंवार)


प्रमुख सचिव।

संख्या : 165/2019-05-04(02)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
10. ✓ निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(देव सिंह)

उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Jalagam (S026)

पत्र संख्या - 165/2019-05-04(2)/2018

मुदान संख्या - 017

अलोटमेंट आई डी - S1903170491

आवंटन पत्र दिनांक - 26-Mar-2019

HOD Name - Director Watershed Management (4798)

- 1: लेखा शीर्षक 2401 - फसल कृषि कर्म 00 -  
001 - निदेशन तथा प्रशासन  
97 - बाह्य सहायतित योजना  
01 - उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (2401 00 800 97 02 से स्थानान्तरित)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	190000000	0	190000000
02 - मजदूरी	7754000	0	7754000
03 - महंगाई भत्ता	19000000	0	19000000
04 - यात्रा व्यय	4126000	0	4126000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	880000	0	880000
06 - अन्य भत्ते	13507000	0	13507000
07 - मानदेय	300000	0	300000
08 - कार्यालय व्यय	2700000	0	2700000
09 - विद्युत देय	2340000	0	2340000
10 - जलकर / जल प्रभार	182000	0	182000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	1878000	0	1878000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1200000	0	1200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	614000	0	614000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	6076000	0	6076000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1665000	0	1665000
17 - किराया, उपशल्क और कर-म्ब	5714000	0	5714000
18 - प्रकाशन	15000	0	15000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	1030000	0	1030000
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	950000000	0	950000000
25 - लघु निर्माण कार्य	1500000	0	1500000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	25000	0	25000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	3238000	0	3238000
29 - अनुरक्षण	1600000	0	1600000
42 - अन्य व्यय	500000000	5700000	505700000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	500000	0	500000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	863000	0	863000
	1716807000	5700000	1722507000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

5700000

Bhawari  
26/3/19  
वित्तिय (वित्तिय)